



2026:AHC:27643

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 1450 / 2026

कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी / सहायक उप-निरीक्षक नीरज कुमार

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	अरविंद कुमार तिवारी
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार तिवारी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद प्रसाद श्रीवास्तव को सुना गया।
- रिट-याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 'कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए' के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उसे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी / सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। दिनांक 14.06.2025 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके माध्यम से रिट-याचिकाकर्ता का स्थानांतरण जनपद संबल से शाहजहाँपुर कर दिया गया। इसे चुनौती देते हुए, रिट-याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 8877 / 2025 दायर की थी, जिसका निस्तारण दिनांक 08.07.2025 को इस निर्देश के साथ किया गया था कि प्राधिकारी उसके दावे पर विचार करें। इसके पश्चात, पुलिस अधीक्षक, संबल/सहायक निदेशक ने अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवा मुख्यालय यू.पी. लखनऊ के माध्यम से दिनांक 20.08.2025 को रिट-याचिकाकर्ता के दावों को अस्वीकार करते हुए निर्णय लिया। रिट-याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने शाहजहाँपुर के स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
- उपरोक्त दोनों अदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
- रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विभाग में ऐसे अन्य कर्मचारी भी हैं जिन्हें उनके संबंधित स्थानों पर दस वर्षों से अधिक समय तक बनाए रखा गया है और उन्हें उनकी पसंद के स्थान पर तैनाती भी दी गई है, लेकिन याचिकाकर्ता के दावे को नकारात्मक रूप से खारिज कर दिया गया है।
- दूसरी ओर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट-याचिकाकर्ता का स्थानांतरण पदोन्नति के पश्चात किया गया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के पास किसी विशेष स्थान पर तैनात रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि वह एक स्थानांतरणीय पद पर कार्यरत है।
- मैंने न्यायालय के समक्ष दिए गए बयानों को सुना है।
- स्पष्ट रूप से, रिट-याचिकाकर्ता एक स्थानांतरणीय पद पर है और उसका स्थानांतरण पदोन्नति पर किया गया है। अतः, हस्तक्षेप करने से इनकार किया जाता है। इस स्तर पर, रिट-याचिकाकर्ता के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिवक्ता ने अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरण के लिए प्रतिवादियों से अनुरोध करने की स्वतंत्रता मांगी है। यदि रिट-याचिकाकर्ता स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लेता है, तो उसके लिए आगामी स्थानांतरण सत्र में अपनी पसंद के तबादले के लिए अधिकारियों से संपर्क करने का विकल्प हमेशा खुला है।

8. तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, जे.)

5 फरवरी, 2026

एसएफएच

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"